डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान नानगा बनाम राज0 सरकार वगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 97/2015

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा 30 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम लालचा[illegible] तहसील नदबई पर वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

बेज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25.11.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत———————— 25/11/24

सहायक कलक्टर

नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

1. नानगा पुत्र साधूराम जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई
भरतपुर।

2. गुड्डू पुत्र साधूराम जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई
भरतपुर। वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 97/2015
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2015/00098
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25.11.2024

1. नानगा पुत्र साधूराम जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गुड्डू पुत्र साधूराम जाति राजकुमार निवासी लालचाह तहसील नदबई जिला भरतपुर। तादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई प्रतिवादी

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री तहसीलदार.(प्रतिवादी की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि उक्त आराजी ख.न. 30 रकवा 0.43 वाके ग्राम लालखह तहसील नदबई स्थित है जिसका साबिक बन्दोबस्ती ख.न. 11 मिन रकवा 1 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम लालचाह तहसील नदबई के काबिज खातेदार काश्तकार है। इस रकवा को वादी ने उनके पिता साधूराम की मृत्यु दिनांक 22.06.81 के बाद वादीगण ने उक्त रकवा को विरासत में प्राप्त किया है। उक्त खसरा नम्बर 11 मिन का रकवा 1 बीघा 14 विस्वा का साबिक खसरा नम्बर 6 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा वाके ग्राम लालचाह तहसील नदबई पर स्थित है।
2. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 6 रकवा 2 बीघा 16 बिस्वा [illegible] विस्वेदारी उन्मूलन कानूनी नजरी होने से पूर्व शामलात [illegible] की [illegible] व मकबूजियत में था। उस समय के जमींदार रामचन्द्र पुत्र [illegible] उक्त आराजी का इन्तजाम करते थे। वादीगण के पिता साधूराम ने बगर्ज काश्त, लगान पर खसरा न. 6 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा संवत 2010 में लिया था उस समय आराजी बंजर थी। साधूराम ने सैकडौ रूपये खर्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24

कर काबिज काश्त बनाया और काश्त करना व लगान अदा करना ... कर दिया साधूराम के साथ–साथ गांव के धीसा व श्रीराम ... उक्त खसरा नम्बर 6 का 1–1 विस्वा वास्ते गौत लगान पर ... उन्होने गौत बना कर लीए दिनांक 15.10.55 व 15.11.59 को साधूराम श्रीराम व घीसा खसरा नम्बर 6 वाके लालचाह के अपने रकवा पर हैसियत काश्तकार काबिज थे। और उन्होने कानूनी आरटीए व आरजेडवी एक्त के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये मगर साधूराम वगैरा को खातेदारी दर्ज नही किया गया और ख.न. 6 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा को राज. सरकार में निहित मानकर मकबूजा राज. दर्ज कर दिया व रकवा की किस्म गैर मु. चारागाह दर्ज कर दी जो खिलाफ कानून था यह रकवा साधूराम श्रीराम व घीसा का ऑकूपाईड था और ऑकूपाईड रकवा राज. सरकार में निहित नही हो सकता था।

3. यह है कि कबजा आराजी के 1 विस्वा पर श्रीराम 1 विस्वा पर धीसा व 2 बीघा 14 विस्वा पर साधूराम व हैसियत खातेदार काबिज थे।

4. यह है कि उक्त रकवा चारागाह दर्ज हो जाने पर प्रतिवर्ष हल्का पटवारी 91 एलआरएक्त की कार्यवाहर करते पैलन्टी जमा कर कानूनी बेदखली करते रहे संवत 2028 में बंदोबस्त होने पर नवीन ख.न. 11 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा दर्ज हो गया पुराना कब्जा होने के कारण तहसीलदार नदबई ने सन् 1977 में साधूराम को एक बीघा 14 विस्वा तथा श्रीराम के अधिपत्य को 1 विस्वा तथा घीसा को 1 विस्वा का बब्जा नियमित रैूलाईज कर दिया और सनद जारी कर दी उक्त नानकचद व धीसा के नाम गैर खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया मगर वादीगण के पिता साधूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया। गलत इन्द्राज पर वादीगण को प्रतिवर्ष नोटिस दफा 91 ... का सामना करना पड रहा है। पैनल्टी जमा करा ली जाती ... हल्का पटवारी ने दिनांक 20.06.15 को नोटिस धारा 91 एलआरएक्ट ... धमकी दी कि या तो कब्जा छोड दो अन्यथा तुम्हे बेदखल कर दिया जाएगा। यदि हल्का पटवारी द्वारा दी गई धमकी कायमाब हो गई तो वादी को अजीम क्षति होगी अतः दावा वादीगण इस प्रकार डिक्री किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24

जावे कि वादीगण खसरा नंबर 6 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पर जिसका हाल बंदोबस्ती खसरा नंबर 30 रकबा 0.43 वाके ग्राम लालचाह के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार संवत 2012 लगायत हाल है, पर यह रकबा वादीगण के पिता के कब्जे में होने के कारण राजस्थान सरकार में निहित नहीं हो सकता । किस्म गैरमुमकिन चारागाह दर्ज की गई है। वादीगण के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही विधि विरूद्ध है। अतः कागजात पटवार में गैरमुमकिन चारागाह का इन्द्राज कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

5. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई द्वारा अपना जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 के अभिवचनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम कि गई।

1. आया वादी विवादित आराजीयात पैतृक है जिसे आरटीए एक्ट लागू होने के समय कतई खिलाफ कानून मकबूजा सरकार दर्ज कर दिया है जिसे वादीगण के कानूनी हकों के अनुसार दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं।

–जिम्मेवादीगण

2. आया वादीगण वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज के दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं।

– जिम्मेवादीगण

3. आया विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। वाद काबिल खारिजी के है।

–जिम्मेप्रतिवादी

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 वाके ग्राम लालचाह, नकल फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र साधुराम, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम लालचाह, नकल संवत 2032 किता 2, नकल जमाबंदी संवत 2036 नकल [illegible] वाके ग्राम लालचाह, नकल आवंटन फोटोप्रति पेश की गई तथा [illegible] बयान रूप में नानगा पुत्र साधुराम जाति [illegible] निवासी लालचाह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24

शेरसिंह पुत्र छोटेलाल जाति मीणा निवासी खेडीदेवीसिंह के शपथ पत्र पेश किया गये।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया

1. आया वादी विवादित आराजीयात पैतृक है जिसे आरटीए एक्ट लागू होने के समय कतई खिलाफ कानून मकबूजा सरकार दर्ज कर दिया है जिसे वादीगण के कानूनी हकों के अनुसार दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2068 से 71 पेश की गई तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 एवं नकल जमाबंदी संवत 2011, 2032, 2036 एवं आवंटन आदेश पेश किए गए तथा नामान्तरकरण पंजिका पेश की गई जिससे यह साबित है कि हाल आराजी खसरा नंबर 30 रकबा 0.43 ग्राम लालचाह व साबिक खसरा नंबर 11 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा ग्राम लालचाह से 1 बिस्वा रकबा श्रीराम को व 1 बिस्वा रकबा घीसा को रेगुलाईज हुआ तथा उनके नाम दाखिला खारिज तस्दीक होकर गैर खातेदारी दर्ज की गई परन्तु वादीगण के पिता साधुराम का दाखिला खारिज नहीं किया गया और न ही गलत रूप से गैरखातेदारी दर्ज की गई। उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता के नाम ना तो गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रही है और न ही वादीगण के पिता के नाम दर्ज की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड में कही भी वादीगण के पिता के नाम उक्त विवादित आराजीयात दर्ज की गई है। उक्त विवादित आराजीयात शुरू से ही मकबूजा एवं वर्तमान में गैर मुमकिन चारागा[illegible] है। वादीगण को राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 की धारा [illegible] तहत विवादित आराजीयात प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है जिस पर न तो खातेदारी दी जा सकती है और न ही कब्जेकाश्त के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24

पर रेगुलाईज किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया वादीगण वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज के दुरूस्त करा पाने के अधिकारी हैं।– उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादीगण का था। तनकी संख्या 1 के विवेचन के निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज को दुरूस्त करा पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

3. आया विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। वाद काबिल खारिजी के है। – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार उक्त विवादित आराजीयात पूर्व में मकबूजा एवं वर्तमान में गैरमुमकिन चारागाह दर्ज रही है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिस पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर प्रतीत होता है कि विवादित आराजीयात मकबूजा एवं गैर मुमकिन चारागाह दर्ज रही है। एवं वर्तमान में भी गैर मुमकिन चारागाह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है। अतः वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा 30 रकबा 0.43 हैक्ट0 वाके ग्राम लालचाह तहसील नदबई पर वादीगण का [illegible] सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:34:05 IST
Reason: SelfAttested

25/11/24
गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर

नदबई (भरतपुर) राज.